कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर–राज0

क्रमांक न.प.स.मा./स्टोर शाखा/2026–27/2169 दिनांक 18/05/2026

–:: ई निविदा सूचना 2026–27 ::–

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगर परिषद में पंजीकृत सक्षम स्तर के सम्बद्ध निविदाकारों से निम्नलिखित कार्य की निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा दिनांक 28/05/26 प्रातः 11.00 बजे से वेबसाइट www.eproc..rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जाकर दिनांक 08/06/26 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। निविदा प्रकिया में भाग लेने वाले संवेदक को नगर परिषद कार्यालय में निविदा शुल्क, अमानत राशि, आरआईएसएल की प्रोसेसिंग फीस की मूल डी0डी0 एवं आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 09/06/26 को सांय 3 बजे तक प्रस्तुत करने होंगें। ऑनलाईन निविदा दिनांक 09/06/26 को सांय 4.00 बजे खोली जावेगी। उक्त निविदा www.sppp.raj.nic.in, www.eproc..rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क.स.	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानता राशि 2 प्रतिशत	अमानता राशि 1/2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
1.	Dismentling/shitfing/erection work of electirc pole / pcc pole with Light at MCSWM area Sawai Madhopur. (Annual Rate Contract) financial year 2026-27 and 2027-28	50.00	100000	25000	1000	500/-	**ARC Nature**

शर्ते :–

1. श्रीमान् सचिव वित्त (बजट) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र संख्या प.6 (5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 की अनुपालना में अमानता राशि, निविदा शुल्क एवं प्रकिया शुल्क फीस– (अकाउन्ट न0 50100061780483 IFSC CODE–HDFC0001847) में NEFT के माध्यम से, नगर परिषद खाते में जमा किया जाना आवश्यक है एवं ऑनलाईन चालान/जमा की रसीद अपलोड करनी होगी। निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे– रजिस्ट्रेशन, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानता राशि जमा की रसीद, एव निविदा शर्तो के अनुरूप अन्य दस्तावेज सिर्फ ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें। ऑनलाईन दस्तावेजो की ही जांच की जायेगी। भौतिक रूप से कोई भी दस्तावेज स्वीकार नही किया जायेगा। दस्तावेज किसी भी कारण से अपलोड नही होने पर संबंधित फर्म की वित्तिय विड नही खोली जायेगी।
2. संवेदक को पेन कार्ड की प्रति, जीएसटी की प्रति(दिसम्बर 2025 तक), ईपीएफ/ईएसआई की प्रति अपलोड करनी होगी।
3. पालिका के किसी भी अधिकारी/पार्षद/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नहीं होने बावत् 50 रूप्ये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
4. संवेदक को किसी भी संस्था/राजकीय संस्था/विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा उपकर्म में ब्लेक लिस्टेड/डि–वार अथवा डिफाल्टर नही होने बावत् 50 रूप्ये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
5. विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी **"A/B/C"** क्लास डिजिटल लाईसेंस की प्रति, विधुत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में EWSD-I,II में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
6. संवेदक द्वारा उपयुक्त श्रेणी में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है–

E-EWSD-1st	Any amount
E-EWSD-2nd	Up to 50.00 Lacs
E-EWSD-3rd	Up to 20.00 Lacs
E-EWSD-4th	Up to 07.50 Lacs

7. कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
8. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पंजीकृत प्रमाण पत्र।
9. निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in एवं www.eproc..rajasthan.gov.in देखी जा सकती है।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगीं।
11. डाक द्वारा भेजी गई निविदाऐ मान्य नहीं होगी।
12. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट से ही स्वीकार की जावेगी।
13. किसी कारण वश निविदा निश्चित दिनांक को ओपन नही हो पाती है तो आगामी दिवसो मे निविदा खोली जायेगी।
14. GF&AR की शर्ते ठेके पर लागू होगी।

Scanned with CamScanner

15. निविदा शर्तो मे संशोधन एवं त्रुटि सुधार हेतु शुद्धि पत्र का प्रकाशन केवल www.eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ही किया जावेगा।
16. बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
17. मेला उत्सव/विशेष आयोजन एवं निर्वाचन हेतु परिषद ठेका निकालने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
18. किसी विवाद का न्याय क्षेत्र मुख्यालय सवाई माधोपुर होगा।
19. शेष शर्ते *RTPP Rule and RTPP ACT 2012-2013* के अनुसार शर्ते लागू रहेगी।
20. निविदाओ को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
21. यदि निविदादाता नियमो का उल्लंघन करता है या अपात्र होता है तो बयाना राशि/प्रतिभूति राशि को नियमानुसार जब्त कर लिया जावेगा।
22. यदि निविदादाता द्वारा कार्य समय पर नही करने अथवा देरी से करने पर अमानता राशि जब्त कर ब्लेक लिस्ट की कार्यवाही की जायेगी।
23. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस में एक अनुबन्ध भरना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिये शेष धरोहर राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। अनुबन्ध सम्पादन संतोषप्रद होने पर धरोहर राशि लौटा दी जावेगी। जिस पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। स्टाम्प आदि व्यय निविदादाता को वहन करना होगा।
24. किसी भी प्रकार की हानि/टूट-फूट की जिम्मेदारी फर्म की होगी। किसी भी प्रकार की टूट फूट होने पर संवेदक द्वारा बदला जायेगा।
25. संवेदक ओक्टागोनल लाईट पोल के फाउन्डेशन निर्माण सभी वर्णित मापदण्ड एंव गुणवत्तापूर्ण करना होगा एवं रख-रखाव,कार्य पूर्ण होने के बाद 3 वर्ष तक करना होगा। यदि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फाउन्डेशन व ओक्टागोनल लाईट का पोल टिल्ट एवं अन्य कोई समस्या उत्पन्न होती है तो संवेदक द्वारा स्वंय के स्तर पर उक्त समस्या को संबंधित अभियता (विद्युत) के निर्देशानुसार ठीक करना होगा जिस हेतु पृथक रूप से कोई भुगतान कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा। यदि पोल फाउन्डेशन के रख-रखाव 5 दिवस पश्चात् नहीं करने पर 500 रू. प्रतिपोल प्रतिदिन के अनुसार शास्ति आरोपित की जावेगी। यदि संवेदक द्वारा ओक्टागोनल लाईट पोल के फाउन्डेशन निर्माण सभी वर्णित मापदण्ड एंव गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं करने या 03 वर्ष के दौरान दुर्घटना की स्थिति मे सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ओक्टागोनल लाईट पोल फाउन्डेशन निर्माण गुणवत्तापूर्ण एंव वर्णित मापदण्डानुसार अनिवार्य रूप से करना ही होगा।
26. सप्लाई/लगाये गये ओक्टागोनल पोल, लाईट, फेज वायर इत्यादी DLB द्वारा एप्रूव्ड ग्रुप-। केटेगरी एवं आईएसओ सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। जिसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी।
27. उक्त कार्य में सप्लाई सामग्री की DLP (Defect Liability Period)/वारन्टी न्यूनतम 03 साल की होगी। यदि अधिकृत कम्पनी के द्वारा संवेदक को 03 साल से अधिक समय की वारन्टी दी जाती है तो दी गई अधिक समयावधि वाली वारन्टी मान्य होगी तथा वारन्टी सर्टिफिकेट सामान सप्लाई के दौरान निकाय में जमा कराना होगा।
28. संवेदक द्वारा सामग्री सप्लाई से पूर्व सामग्री के लिये अधिकृत कम्पनी का प्रमाणीकरण निकाय/इन्जिनियरिंग इन्चार्ज से करवाना होगा।
29. निविदा दाता द्वारा कोई भी जानकारी असत्य दिये जाने पर का कोई भी तथ्य छुपाए जाने पर उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
30. निविदादाता कार्य को अन्य किसी एजेन्सी सबलेट के लिये नही देगा और न ही उनसे करवायेगा।
31. निविदादाता द्वारा कार्य समय पर नही करने अथवा देरी से करने पर अमानता राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
32. संवेदक का कार्य संतोष जनक होने पर नियमानुसार कार्यअवधि को आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
33. नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ, शारीरिक रूप से असक्षम, बाल श्रमिक कार्य पर नही लिया जावेगा। ऐसे श्रमिकों से कार्य करवाये जाने पर संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
34. लेबर एक्ट प्रावधानों की पूर्ण पालना करनी अनिवार्य होगी। न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। न्यायिक क्षेत्र संबंधित निकाय होगा।
35. उक्त कार्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किसी तरह के कोई अंकेक्षण मे रिकवरी निकाली जाती है, तो उक्त रिकवरी संवेदक को वहन करनी होगी।
36. अनुमानित संख्या कम ज्यादा की जा सकती है जिसका आनुपातिक भुगतान होगा।

Scanned with CamScanner

37. अगर निकाय दिये गये कार्यआदेश के शेड्यूल के आईटम या विवरण मे आवश्यकता नही होने/अपग्रेडशन की स्थिति मे कार्यआदेश के आईटमों/ विवरण को कभी भी With-draw कर सकती है, जिसके लिए संवेदक कभी भी क्षतिपूर्ति राशि की मांग नही करेगा।

38. समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निकाय अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा किये गये दिशा निर्देश/आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा संवेदक राज्य एव केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियम/प्रावधानो को स्वीकार करने हेतु पाबन्द होगा।

39. खुले केबिल/वायर के जोईन्ट पर टेप लगाकर सुरक्षा की पुरी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार की लापरवाही से खुले तारो या किसी भी कारणवश सवदेक के कर्मचारी/आम नागरिक/पशु आदि की करंट से दुर्घटना होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

40. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर निकाय प्रभारी /तकनिकी अभियन्ता द्वारा 3 नोटिस देने पर व प्राप्त जवाब सतोपजनक नही पाए जाने पर अनुवन्ध निरस्त कर दिया जावेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरीटी) एव जमा राशि निकाय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

41. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्यादेश मे निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/वित्तीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk&Cost) पर नगरनिकाय कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

42. संवेदक द्वारा किये गये कार्य का तकनीकि विधुत अभियंता द्वारा प्रमाणिकरण करने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।

प्रशासक नगर परिषद सवाई माधोपुर	सहायक अभियंता नगर परिषद सवाई माधोपुर	लेखाकार नगर परिषद सवाई माधोपुर	आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर

क्रमांकः न.प.स.मा/स्टोर शाखा/2026-27/2170-75

दिनांकः-18/05/2026

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान् अधिशाषी अभियंता विद्युत नगर निगम भरतपुर।
2. सहायक अभियन्ता विद्युत नगर परिषद सवाई माधोपुर।
3. लेखाशाखा नगर परिषद सवाइ माधोपुर।
4. नोटिस बोर्ड नगर परिषद शहर/मानटाउन सवाई माधोपुर।
5. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर परिषद सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner